न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–110/2015 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, अलवर ।
2. तहसीलदार लैण्ड होल्डर राजगढ़ ।

.....प्रतिवादी/ अपीलांट

बनाम

1. कैलाशचन्द पुत्र भौरेलाल जाति कोली निवासी धमरेड तहसील राजगढ़ ।
2. चेतराम पुत्र भौरेलाल जाति कोली निवासी धमरेड ।
3. मु0 सुक्का बेवा भौरा जाति कोली निवासी धमरेड ।

..... वादीगण/रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–26.10.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.01.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा दुरूस्ती इन्द्राज इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 176 किस्म चारागाह वाके ग्राम धमरेड़ में स्थित है जो आराजी साबिक आराजी है जिसमें से वादीगण के पिता को राज्य सरकार द्वारा 5 बीघा आराजी वर्ष 1981 में काश्त हेतु आवंटन की गई थी तथा 5 बीघा भूमि वाद के ताउ देवीसहाय को आवंटन की गई थी जिसका मौके पर तितम्बा काटा गया था व उक्त आराजी में वादीगण के पिता की आराजी बाबत ख0 नं0 1232/176 रकबा 5 बीघा व वादीगण के ताउ की आराजी का ख0सं0 1237/176 रकबा 5 बीघा कायम किया व उनको मौके पर कब्जा दिया गया तभी से वादीगण के पिता व ताउ उक्त आराजी पर

काबिज होकर काश्त कर रहे हैं और उनकी मृत्यु के बाद वादीगण उक्त आराजी पर काबिज हैं । उक्त आराजी का इन्तकाल भी उनके नाम दर्ज हो गया है । इसी आराजी में गांव के श्रवण पुत्र नत्थू कोली को भी 5 बीघा आराजी आवंटन हुई थी जिसका तितम्बा काटकर उसे 1230/176 खसरा नम्बर कायम किया गया था । वादीगण के ताउ देवीसहाय का स्वर्गवास हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण है क्योंकि देवी सहाय के कोई अन्य वारिस नहीं है । देवीसहाय द्वारा वादीगण के पक्ष में एक वसीयतनामा भी तहरीर किया हुआ है जिससे उसकी आराजी का इन्तकाल वादीगण के नाम दर्ज व स्वीकार हो चुका है । यह कि बन्दोबस्त सम्वत् 2046 में सम्पन्न हुआ जिसमें साबिक आराजी ख0 सं0 176 के हाल ख0सं0 161 ल0 909 कुल रकबा 27.28 है0 कायम हुए हैं और बन्दोबस्त विभाग सम्वत् 2046 में वादीगण के पिता की 5 बीघा आराजी के नये नम्बर 165 रकबा 0.55 है0 कायम कर भौरा के नाम दर्ज की है जबकि नयी प्रणाली के अनुसार 1.25 है0 आराजी दर्ज होनी चाहिए । इसी प्रकार 0.70 है0 आराजी पूर्व के अनुसार रेकार्ड में कम दर्ज की है । इस प्रकार हाल मिलान क्षेत्रफल व नक्शा तथा राजस्व रेकार्ड खिलाफ मौका दर्ज किया है जो काबिल स्वीकार योग्य नहीं है । इसी प्रकार वादीगण के ताउ देवीसहाय की आराजी भी 0.52 है0 गत के मुकाबले कम दर्ज की है जबकि दोनों का रकबा 1.25–1.25 है0 होना चाहिए था जबकि हाल रेकार्ड में ख0सं0 168 रकबा 1.47 है0 वादीगण के ताउ देवीसहाय व श्रवण के नाम दर्ज किया है । इस प्रकार उनके खाते में 103 ऐयर आराजी कम दर्ज की गई है । अतः उक्त रकबा दुरूस्त किया जावें अर्थात हाल मिलान क्षेत्रफल व नक्शा व रेकार्ड में दुरूस्त किया जावें । विद्धान तहत न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिनके द्धारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया । विद्धान तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर दि0 17.01.2014 को वादी का वाद डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 17.01.2014 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

राजकीय अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्धारा पारित आदेश का हवाला दिया । राजकीय अभिभाषक का बहस में कथन है कि राजकार्य में व्यस्तता के कारण व जिला कलक्टर महोदय से अनुमति लेकर अपील पेश की है । इस कारण अपील पेश करने में विलम्ब हुआ है ।

बहस में आगे कहा कि विवादित आराजी पर रेस्पो0 ने कब्जा ढाई बीघा पर क्यों लिया था जबकि वास्तविकता में मौके पर रेस्पो0 का कब्जा था ही नहीं । जमीन मौके पर ही नहीं है तथा न ही इनका कब्जा है । बन्दोबस्त विभाग ने उसी आधार पर रेकार्ड में अंकन किया है । तहत न्यायालय ने सरकार को सुनवाई व रेकार्ड पेश करने का मौका ही नहीं दिया । मौके पर कब्जा कितना है, यह देखना जरूरी है ।

इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है और अपील अपीलांट स्वीकार करने की इस्तदुआ की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने जवाब बहस में कहा कि अपीलांट ने अपील मियाद बाहर पेश की है । राजकार्य की व्यस्तता का कारण मान्य नहीं है । देरी क्यों हुई, इसका उचित व दिन प्रतिदिन का कारण नहीं बताया है । रेस्पो0 ने जवाब में यह कानूनी बिन्दू उठाया है और इसी आधार पर अपील में खारिज करने की इस्तदुआ की है ।

मैरिट बहस पर निवेदन किया कि वादी के पिता भौरेलाल को 1981 में 5 बीघा जमीन आवंटन की थी तथा तितम्बा काटा गया है । नामान्तकरण 5 बीघा का दर्ज व स्वीकार हुआ है । सम्वत् 2046 में बन्दोबस्त हुआ जिसमें रकबा 1.65 बीघा का 1.55 बीघा कर दिया । वादी के ताउ की 52 ऐयर आराजी कर दी । रकबा कम होने के कारण हमने तहत न्यायालय में घोषणा का वाद पेश किया । गैर खातेदारी से खातेदारी का इन्ताल हुआ है । रकबा 5–5 बीघा की नकल पेश की है । राजकीय अभिभाषक अपीलांट के तर्क सही नहीं हैं । मौका व रेकार्ड के खिलाफ आवंटन गलत कराना बताते हैं परन्तु आवंटन निरस्त कराने का दावा/अपील क्यों नहीं की । हमें मौका देकर नियमानुसार आवंटन किया है । सरकार की कोई साक्ष्य नहीं है । हमारा कब्जे का मामला नहीं है, इन्द्राज दुरूस्ती का है । इसलिए अपीलांट की मियाद बाहर व मैरिट पर खारिज की जावें ।

उन्होंने अपने समर्थन में 1995 आर.एल.डब्ल्यू. पेज 439, 1999 आर.एल.डब्ल्यू. पेज 751, 107, 1996 आर.एल.डब्ल्यू. पेज 598 प्रस्तुत की ।

हमने अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.01.2014 का अवलोकन किया । प्रस्तुत कानूनी नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया ।

अपीलांट द्वारा पेश अपील में मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में विलम्ब क्यों हुआ उसका दिन प्रतिदिन कोई कारण नहीं बताया गया है जिसके कारण अपील अन्दर मियाद शुमार की जा सकें । इसलिए अपीलांट की अपील मियाद के बिन्दू पर यदि वादी/रेस्पो0 का दावा मैरिट के रेकार्ड व कानून के अनुसार सही है तो मियाद के बिन्दू पर भी अपीलांट की अपील काबिल खारिजी के है ।

साथ ही अपील के मैरिट पर निर्णय अवलोकन उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि तहत न्यायालय ने वादीगण/रेस्पो0 का जो दावा दुरूस्ती का रेकार्ड अनुसार डिक्री किया है उसमें हम किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाते हैं तथा मैरिट पर तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेकार्ड का पूर्ण विवेचन करके बन्दोबस्त से पूर्व की जो खातेदारी थी तथा जितना रकबा था और बन्दोबस्त ने जो रकबा कम किया है, उसे दुरूस्त करने का सही व विधि अनुसार सही निर्णय किया है । इसलिए तहत का निर्णय मैरिट पर सही होने तथा मियाद के बिन्दू पर अपील अपीलांट खारिजी के योग्य पायी जाती है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के निर्णय व डिक्री दि0 17.01.2014 यथावत रखी जाती है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

26/7/18

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर